

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम राभाराम, लक्ष्मणाराम कुंवर

शोबिता जीवराज

पि-नेतीराम भीष्म सा. लोखवा


किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
सन्

मु.न. 30/2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 17-9-2020 | पटवारी हल्का शोबिता जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा लोखवा के खसरा संख्या 182/2 रकबा 0.06 बीघा किस्म भूमि का क्षेत्र पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30-9-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो। | |
| 30-9-2020 | पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल को जवाबदेह भवत दिनांक पत्रावली दिनांक 22-10-2020 का पेश हो। | सुल्मणराज |
| | तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर | |
| | तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर | |

22-10-2020

पत्रावली भाग पेश हुई गैर सामल
अनुपस्थित । गैर सामल को आविष्करी
मानते हुए पत्रावली फौजल सुमार है।
निर्वाह मेलग ले लिखा जाकर पत्रावली
शांति है । निर्वाह सुकले न्यायालय के
सुनाम बाग । पत्रावली फौजल सुमार
हैकर दारिजल दफनर है ।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

सिणधरी तहसील
बाड़मेर जिला